



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Chaudhary Charan Singh University, Meerut

E.mail : ar.affiliation@ccsuniversity.ac.in NAAC A++

Website : www.ccsuniversity.ac.in

पत्रांक:-सम्बद्धता /3169 /2026-27

दिनांक : 26.10.2026

२७

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या/सचिव
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ

विषय:- विश्वविद्यालय के समस्त शासकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में रोवर्स रेंजर की पंजीकरण शुल्क विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक जिला मुख्य आयुक्त, रोवर्स रेंजर्स, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के संलग्न पत्र संख्या-CCSU/RR/011 दिनांक 13.10.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करे, जो कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त शासकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में रोवर्स रेंजर का पंजीकरण शुल्क विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में है।

उक्त के सम्बन्ध में आपसे अपेक्षा है कि आप जिला मुख्य आयुक्त, रोवर्स रेंजर्स, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के दिनांक 13.10.2026 के आलोक में आवश्यक कार्यवाही करते हुये सूचना जिला मुख्य आयुक्त, रोवर्स रेंजर्स, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

ABJ 27/10

कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

01. वैयक्तिक सहायक कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
02. डा० दुष्यन्त कुमार चौहान, जिला मुख्य आयुक्त, रोवर्स रेंजर्स, चौधरी चरण सिंह वि०वि०, मेरठ
03. प्रभारी प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
04. प्रभारी विश्वविद्यालय वेबसाइट चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
05. सम्बन्धि पत्रावली।

कुलसचिव



भारत स्काउट और गाइड उत्तर प्रदेश चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ



पत्रांक: CCSU/RR/011

दिनांक : 13.10.2026

सेवा में,

कुलसचिव

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,

AR (Alfi)
को 44 दिनांक
13/10

विषय: विश्वविद्यालय के समस्त शासकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में रोवर्स/रेंजर्स की पंजीकरण फी/विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय डा0 जय सिंह, सहायक शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या डिग्री विकास/34031/2022-23 दिनांक 14.11.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें । उक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराना है कि प्रत्येक महाविद्यालय में रोवर्स-रेंजर्स कोष का गठन किया गया है जिसके अन्तर्गत महाविद्यालयों में अध्ययनरत समस्त छात्र-छात्राओं से प्रवेश प्रक्रिया के दौरान 50=00 रु0 की धनराशि विश्वविद्यालय के रोवर्स-रेंजर्स कोष में जमा कराना अपेक्षित है ।

इस सन्दर्भ में अवगत कराना है कि उक्त फण्ड की धनराशि को उत्तर प्रदेश भारत स्काउट एवं गाइड, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा जिला संस्थान भारत स्काउट एवं गाइड सम्बन्धित जनपद स्तर पर कमश 5-15:20 : 50:15 के अनुपात में एकत्रित की जानी है, जिससे सभी स्तरों पर विभिन्न गतिविधियों के सफल संचालन हेतु वित्तीय वर्ष संसाधन उपलब्ध रहें ।

उल्लेखनीय है कि प्रादेशिक मुख्यायुक्त भारत सरकार और गाइड उत्तर प्रदेश के पत्रांक-सी0जी0-105/172/202 दिनांक 30.04.2022 द्वारा समस्त विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश को भारत स्काउट और गाइड मुख्यालय नई नई दिल्ली द्वारा भारत स्काउट और गाइड के नियम संया 90 के अन्तर्गत जिला संस्था का दर्जा दिया गया है। प्रत्येक छात्र/छात्राओं से वार्षिक 50/- रु0 की दर से प्राप्त शुल्क को विभिन्न संस्थाओं में निम्नानुसार वितरण किये जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है ।

1. विश्वविद्यालय कैम्पस/महाविद्यालय स्तर 50% (रु0 25/- छात्र/छात्रा)
2. विश्वविद्यालय जिला संस्थान 20% (रु0 10/- छात्र/छात्रा)
3. प्रादेशिक मुख्यालय भारत स्काउट और गाइड उ0प्र0 30% (रु015/- छात्र/छात्रा)

अतः आपसे अनुरोध है कि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आने वाले सभी महाविद्यालयों से रोवर्स-रेंजर्स शुल्क को विश्वविद्यालय के रोवर्स-रेंजर्स कोष में उपलब्ध कराने हेतु सभी महाविद्यालयों/संस्थाओं/ओटोनॉमस संस्थाओं को दिशा निर्देश देने का कष्ट करें ।

Bank Name- Indian Bank (Meerut University)

Account No-50192720505

IFSC Code- IDIB000M690

भवदीय

13.10.026

डा0 दुष्यन्त कुमार चौहान

जिला मुख्य आयुक्त, रोवर्स-रेंजर्स
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Korlos



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
CHAUDHARY CHARAN SINGH UNIVESITY, MEERUT
राष्ट्रीय सेवा योजना
NATIONAL SERVICE SCHEME

Dr. Dushyant Kumar Chauhan,
Co-ordinator, National Service Scheme
Mob. No. 9639328983
Email: nssecsunmt2019@gmail.com



दिनांक: 25.08.2026

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ

महोदय,

निवेदन है कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विभिन्न महाविद्यालयों में रोवर्स-रेंजर्स, भारत स्काउट गाइड, उ0प्र0 की इकाईयों संचालित हैं। शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा), शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या डिग्री विकास/34031/2022-23 दिनांक 14.04.2022 के माध्यम से अवगत कराना है कि प्रदेश के समस्त शासकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में रोवर्स एवं रेंजर्स कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिये विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स एवं रेंजर्स कोष का गठन कर पंजीकरण के दौरान छात्र/छात्रा से ₹0 50.00 पंजीकरण शुल्क लिये जाने का प्रावधान है। जिसमें से कुल पंजीकरण शुल्क का 20 प्रतिशत भाग (₹0 10/ छात्र/छात्रा) विश्वविद्यालय जिला संस्थान को तथा कुल पंजीकरण शुल्क का 30 प्रतिशत भाग (₹0 15/ छात्र/छात्रा) प्रादेशिक मुख्यालय भारत स्काउट और गाइड उ0प्र0 उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही शेष 50 प्रतिशत शुल्क (₹0 25/ छात्र/छात्रा) को सम्बन्धित महाविद्यालय के कोष में रोकने का भी प्रावधान किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त का संज्ञान हेतु हुए महाविद्यालयों से रोवर्स-रेंजर्स पंजीकरण शुल्क सीधे सम्बन्धित खाते में उपलब्ध कराने हेतु रोवर्स-रेंजर्स खाता संख्या 50192720505 का बार कोड बनवाने हेतु सम्बन्धित को दिशा निर्देश देने का कष्ट करें।

Branch to amount (Indian Bank)

25.08.26

भवदीय

(डा० दुष्यन्त कुमार चौहान)
जिला मुख्य आयुक्त रोवर्स-रेंजर्स,
भारत स्काउट और गाइड उ0प्र0
Kartar

OPPO A3 5G

27 August 2026 at 3:30 pm

कुलसचिव
Registrar



महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ
वाराणसी-221002
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith
Varanasi-221002
Email : registrar@gkvvp@gmail.com

पत्रांक/Ref.

दिनांक/Date. 23 जुलाई, 2026

कार्यालय-आदेश

प्रादेशिक मुख्यायुक्त, भारत स्काउट्स एण्ड गाइड्स, उ०प्र० के पत्र संख्या-CG-105/828/2026-27 दिनांक 03-07-2026 के आलोक में इस कार्यालय के पूर्व निर्गत आदेश संख्या-कु०स०/10235/2Aसाप्र-1(रोवर्स/रेजर्स)/2023 दिनांक 05 सितम्बर, 2025 एवं कार्यालय आदेश संख्या-कु०स०/2230/2Aसाप्र-1(रोवर्स/रेजर्स)/2026 दिनांक 29 जून, 2026 को अवक्रमित करते हुए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी से सम्बद्ध महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं से रोवर्स/रेजर्स शुल्क संकलन के सम्बन्ध में निम्नवत् प्रावधान किया जाता है :-

- महाविद्यालय द्वारा रोवर/रेजर्स मद में प्रतिछात्र रु० 50/- वार्षिक की दर से शुल्क प्राप्त किया जायेगा।
- महाविद्यालय स्तर पर 50% (रु० 25/- प्रति छात्र/छात्रा) जमा किया जायेगा।
- विश्वविद्यालय जिला संस्था हेतु 50% (रु० 25/-प्रति छात्र/छात्रा) परीक्षा शुल्क के साथ विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जायेगा।
- विश्वविद्यालय द्वारा जिला संस्था अंश सम्बन्धित खाते में अन्तरित किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार निर्धारित विश्वविद्यालय जिला संस्था को महाविद्यालयों से प्राप्त होने वाली 25/- रुपये धनराशि में से 15/- रुपये प्रति छात्र/छात्रा प्रादेशिक मुख्यालय भारत स्काउट और गाइड, उ०प्र० को (विश्वविद्यालय जिला संस्था द्वारा) हस्तान्तरित किये जायेंगे एवं 10/- रुपये प्रति छात्र/छात्रा विश्वविद्यालय जिला संस्था के पास रहेंगे।

अतः समस्त सम्बन्धित से अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करते हुए रोवर्स/रेजर्स गतिविधियों को क्रियाशील बनाने का कष्ट करें।

संख्या-कु०स०/23 64 /2Aसाप्र(रोवर्स/रेजर्स)/2026 तद दिनांक

कुलसचिव

संख्या-कु०स०/23 64 /2Aसाप्र(रोवर्स/रेजर्स)/2026 तद दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मा० कुलपति जी।
2. वित्त अधिकारी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य-समस्त सम्बद्ध शासकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय (जनपद-वाराणसी एवं चन्दौली)।
4. निदेशक (उच्च शिक्षा), डिग्री विकास अनुभाग, उ०प्र० प्रयागराज।
5. प्रादेशिक मुख्यायुक्त, भारत स्काउट और गाइड, उत्तर प्रदेश।
6. प्रादेशिक सचिव, भारत स्काउट और गाइड, उत्तर प्रदेश।
7. प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त (स्का०/गा०), भारत स्काउट और गाइड, उत्तर प्रदेश।
8. सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त (स्का०/गा०), वाराणसी एवं विन्ध्याचल मण्डल।
9. जिला आयुक्त, रोवर्स रेजर्स, जिला संस्था, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
10. सहायक कुलसचिव-सम्बद्धता को इस आशय के साथ कि इस आदेश को अपने माध्यम से समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रसारित कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
11. प्रभारी, संगणक केंद्र - विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।
12. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव

गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद
Guru Jambheshwar University, Moradabad

(A State University of Government of Uttar Pradesh)

Contact: 05912976525, Email: qjumoffice@gmail.com

पत्रांक:- गु०ज०वि०मु०/प्रशा०/(ए-१)/२०२६/ 1756

दिनांक:- 05.10.2026

सेवा में

प्राचार्य/प्राचार्या

समस्त महाविद्यालय/शिक्षण संस्थान

संबद्ध-गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद।

विषय- समस्त शासकीय/अशासकीय/सहायता प्राप्त/ स्वयंसेवक पोषित/संगठक महाविद्यालयों/शिक्षण संस्थानों में रोवर्स/रेजर्स कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू किए जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया

इस पत्र के माध्यम से आप सभी को सूचित किया जाता है कि शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्रांक: डिग्री विकास/1350/23/2021-22, दिनांक: 15.12.2021, पत्रांक: डिग्री विकास/34031/2022-23, दिनांक: 14.11.2022 व भारत स्काउट एंड गाइड्स उत्तर प्रदेश द्वारा प्रेषित पत्रांक: CG-105/828/2026-27 दिनांक: 03/07/2026 के अंश्लोक में निर्गत आदेशों-निर्देशों के अनुपालन में विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त महाविद्यालय शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य एवं प्राचार्य की निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक महाविद्यालय में रोवर्स रैजर्स कोष का गठन सुनिश्चित कराया जाए, जिसके अंतर्गत महाविद्यालय में अध्ययनरत समस्त छात्र-छात्राओं से रूपए 50 मात्र की धनराशि प्राप्त कर रोवर्स रैजर्स फंड में जमा की जाए। इस संबंध में उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज एवं भारत स्काउट एवं गाइड्स, लखनऊ द्वारा आवश्यक प्रपत्र, आदेश-निर्देश आदि पूर्व में ही प्रेषित हैं।

एकत फण्ड की धनराशि विश्वविद्यालय जिला संस्था के खाते में रु25 प्रति छात्र-छात्रा की दर से विश्वविद्यालय के निम्नलिखित खाते में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें-

बैंक का नाम- INDIAN BANK

खाता धारक का नाम- FOR ROVERS & RANGERS FUND GURU JAMBHESHWAR UNIVERSITY

खाता नंबर- 8354004572

IFSC CODE- IDIB000M744

शाखा: मुरादाबाद सिटी

इसके साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करने की अपेक्षा है कि रोवर्स एवं रैजर्स के विभिन्न प्रगतिशील तथा बी. एड. कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए संपन्न होने वाले शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन से संबंधित निर्धारित शुल्क में से नियमानुसार विश्वविद्यालय को देय अंश विश्वविद्यालय के निर्धारित बैंक खाते में अनिवार्य रूप से जमा कराया जाना है। आपके सुचम संदर्भ हेतु स्कालरट संस्था द्वारा इस संबंध में प्रेषित विभिन्न पत्र, प्रपत्र अदि संलग्न हैं। विश्वविद्यालय को देय अंश संबंधी धनराशि उपरोक्त खाते में जमा करने के उपरांत साक्ष्यों सहित लिखित सूचना अनिवार्य रूप से दिनांक 20.10.2026 तक विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

उच्च शिक्षा निदेशालय (उत्तर प्रदेश) प्रणाराज एवं काउन्सिलर/गाइडिंग संस्था की अपेक्षा के अनुरूप विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त महाविद्यालय/शिक्षण संस्थानों में रोवर्स/रेंजर्स गतिविधियाँ संचालित हो सके, इस हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर नियुक्त किए गए नोडल अधिकारी-रोवर्स एवं रेंजर्स, डॉ. प्रवीण कुमार से उनके व्हाट्सएप नंबर-97760480884 पर संपर्क स्थापित कर आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। इस संबंध में आवश्यक प्रपत्र आदेश-निर्देश आदि पूर्व में ही प्रेषित हैं।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय

गिरीश कुमार द्विवेदी

पी०सी०एस

कलसचिव

प्रतिलिपि -निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मुरादाबाद परिक्षेत्र।
- 3- मुख्याधुक्त-उत्तर प्रदेश भारत स्काउट एवं गाइड, लखनऊ।
- 4- प्रादेशिक सचिव-उत्तर प्रदेश भारत स्काउट एवं गाइड, लखनऊ।
- 5- सहायक कुलसचिव, गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद।
- 6- निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय को सूचनार्थ।
- 7- गार्ड फाइल।
- 8- डॉ. प्रदीप कुमार, नौडल अधिकारी-रोटर्स एवं रैजर्स, गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद (प्रोफेसर-वाणिज्य, एस. एम. कॉलेज, चंदौड़ी, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह संलग्न पत्रों में की गई अपेक्षा से अनुरूप तत्त्वों की प्राप्ति हेतु आवश्यक कार्रवाही करने के साथ-साथ विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय/शिक्षण संस्थानों को आवश्यक सहयोग प्रदान करते हुए प्रगति रिपोर्ट से माननीय कुलपति कार्यालय एवं अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

कुलसचिव



लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ-226007
(नैक द्वारा ए++ ग्रेड प्रत्यायित)

संदर्भ संख्या :/पी.ए./2026

दिनांक :

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त सहयुक्त महाविद्यालय,
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
(लखनऊ, लखीमपुर-खीरी, हरदोई, रायबरेली, सीतापुर)

महोदय/महोदया,

कृपया अवगत कराना है कि भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 20 मई 2026 के क्रम में विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा लिये गये शुल्क का अंश रु0 15/- प्रति छात्र/छात्रा की दर से सत्र 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 की कुल धनराशि भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0 संस्था को हस्तान्तरित किया जाना है। उक्त फण्ड की धनराशि महाविद्यालयों द्वारा निम्नानुसार प्रयोग में लायी जायेगी:-

- 50 प्रतिशत महाविद्यालय कोष में (रु0 25 /- प्रति छात्र/छात्रा)
- 20 प्रतिशत विश्वविद्यालय कोष में (रु0 10/- प्रति छात्र/छात्रा)
- 30 प्रतिशत प्रदेशिक संस्था भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0 कोष में (रु0 15 /- प्रति छात्र/छात्रा)

अतः समस्त से अनुरोध है कि कुल धनराशि का 50 प्रतिशत (रु0 25/- प्रति छात्र/छात्रा) प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय के खाता संख्या-38831840091 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लखनऊ विश्वविद्यालय में जमा कराने का कष्ट करें, जिससे इस खाते से विश्वविद्यालय द्वारा 30 प्रतिशत प्रदेशिक संस्था भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0 कोष में (रु0 15 /- प्रति छात्र/छात्रा) हस्तान्तरित किया जा सके।

भवदीया

(डॉ० भावना मिश्रा)
कुलसचिव

संख्या AF-10627-28

दिनांक 28/09/26

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय को सूचनार्थ।
2. वित्त अधिकारी, ल0वि0।
3. गार्ड फाईल।

Omisha
कुलसचिव

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)
शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग
उ०प्र०, प्रयागराज।

महत्वपूर्ण

सेवा में,

1. कुल सचिव,

समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ०प्र०।

2. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी

उ०प्र०।

पत्रांक-डिग्री विकास/ उ०४०३/ 2022-23

दिनांक- 14/11/2022

विषय-प्रदेश के समस्त शासकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में रोवर्स/रेंजर्स कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक-डिग्री विकास/135023/21-22 दिनांक 15.12.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कुल सचिव समस्त राज्य विश्वविद्यालय उ०प्र० तथा समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को सम्बोधित तथा अन्य 07 को पृष्ठांकित है।

उक्त पत्र के द्वारा राजकीय महाविद्यालयों/अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में रोवर्स/रेंजर्स दलों के गठन तथा उनसे सम्बन्धित गतिविधियों के संचालन हेतु निम्नवत् विस्तृत निर्देश दिये गये थे।

1. प्रत्येक महाविद्यालय को कम से कम एक रोवर्स/रेंजर्स 24-24 की संख्या में गठन के साथ ही पंजीकरण/नवीनीकरण अनिवार्य रूप से कराया जाए।
2. प्रत्येक महाविद्यालय में रोवर्स/रेंजर्स कोष का गठन सुनिश्चित कराया जाए, जिसके अन्तर्गत महाविद्यालयों में अध्ययनरत समस्त छात्र-छात्राओं से रुपये 50=00 की धनराशि प्राप्त कर रोवर्स/रेंजर्स के फण्ड में जमा की जाए।

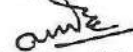
उक्त फण्ड की धनराशि को उ०प्र० भारत स्काउट एवं गाइड, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा जिला संस्था भारत स्काउट एवं गाइड सम्बन्धित जनपद स्तर पर कमशः-15:20 : 50:15 के अनुपात में एकत्रित की जाए, जिससे सभी स्तरों पर विभिन्न गतिविधियों के सफल संचालन हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध रहें।

उल्लेखनीय है कि प्रादेशिक मुख्यायुक्त भारत स्काउट और गाइड उ०प्र० के पत्रांक-सी०जी०-105/172/202 दिनांक 30.04.2022 द्वारा समस्त विश्वविद्यालय उ०प्र० को भारत स्काउट और गाइड मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा भारत स्काउट और गाइड के नियम संख्या 90 के अन्तर्गत जिला संस्था का दर्जा दिया गया है। प्रत्येक छात्र/छात्राओं से वार्षिक 50/- रु० की दर से प्राप्त शुल्क को विभिन्न संस्थाओं में निम्न विवरणानुसार वितरित किये जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है-

1. विश्वविद्यालय कैम्पस/महाविद्यालय स्तर 50%(रु० 25/- छात्र/छात्रा)
2. विश्वविद्यालय जिला संस्था 20%(रु० 10/- छात्र/छात्रा)
3. प्रादेशिक मुख्यालय भारत स्काउट और गाइड उ०प्र० 30%(रु० 15/- छात्र/छात्रा)

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रादेशिक मुख्यायुक्त के पत्रांक-सी०जी०-105/172/202 दिनांक 30.04.2022 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अपने स्तर पर रोवर्स/रेंजर्स की गतिविधियों को क्रियाशील बनाने का कष्ट करें।

भवदीय



डॉ० (जय सिंह)

सहायक निदेशक, (उ०शि०)
कृते शिक्षा निदेशक, (उ०शि०)
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पृष्ठांकन संख्या-डिग्री विकास/उ4031-46 /2022-23

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रादेशिक मुख्यायुक्त, भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0 महानगर, लखनऊ।
2. प्रादेशिक सचिव, भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0 महानगर, लखनऊ।
3. प्रादेशिक संगठन आयुक्त (स्का0/गा0)/प्रशिक्षण आयुक्त (स्का0/गा0) भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0 महानगर, लखनऊ।
4. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालय को इस आशय के साथ प्रेषित कि पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
5. समस्त सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त (स्का0/गा0) सम्बन्धित मण्डल को इस आशय के साथ कि अपने मण्डल स्थित जनपदों के उच्चाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर कार्यवाही सुनिश्चित करायें।


14.11.22

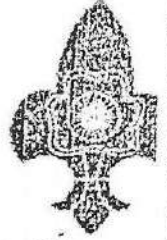
डॉ0 (जय सिंह)

सहायक निदेशक, (उ0शि0)

कृते शिक्षा निदेशक, (उ0शि0)

④ उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

भारत स्काउट और गाइड, उ० प्र०



डा० प्रभात कुमार, आई० ए० एम० (मे० नि०)

प्रादेशिक मुख्यायुक्त

भारत स्काउट और गाइड उ० प्र०

पत्रांक C.G.-105/1172/2021

दिनांक 30-4-2022

Sub : Recognition of University as Education District under Rule 90 of National Headquarters, Bharat Scouts & Guides

Dear Sir,

You may be aware that Bharat Scouts & Guides, U.P. is a voluntary, non political Organization under the patronage of Honorable Governor of Uttar Pradesh.

The objective of Bharat Scouts & Guides is to develop youth of this country physically, mentally, intellectually, socially, spiritually and emotionally and inculcate in them, the spirit of national unity and integrity. As per the instructions of National Headquarters, Bharat Scouts and Guides New Delhi, Bharat Scouts and Guides U.P. has decided to recognize your university as one of the districts for carrying out activities of Rovering / Rangering in the university and all its affiliated institutions so that the university gets sufficient autonomy in its functioning, independent of the district unit of the revenue district where the university is situated. Needless to mention that university shall be given an affiliation as district by the Bharat Scouts & Guides, Uttar Pradesh.

Under the instructions of Honorable Governor, the Director, Department of Higher Education has already written to you regarding development of Rovering/Rangering Program vide Letter No Degree vikas/135023/2021-22 dated 15th Dec 2021. I have also written a detailed letter for institutionalizing various activities of rovering/rangering vide my letter C.G. 105/1680/2020-21 dated 22nd March 2021.

Since it has been decided to constitute university as a district as per Rule No. 90 of National Headquarters, Bharat Scouts & Guides, New Delhi, the sharing of Fee (Rs. 50/- per student per annum) among different bodies shall be as follows:-

- | | | |
|--|---|-----|
| 1. Residential University/College | - | 50% |
| 2. University as District | - | 20% |
| 3. State Association, Bharat Scouts & Guides, U.P. | - | 30% |

आओ मिलकर हिंदुस्तान को निर्मल और अधिकृत बनाये !

संस्था: भारत स्काउट और गाइड राष्ट्रीय प्रशासन केन्द्र : महात्मा गांधी मार्ग, इन्दौर नगर दरवाजा, आई डिस्ट्रिक्ट
ऑफिसियल संचिका एम० 462 1950-1951

प्रादेशिक प्रमुख कार्यालय : स्काउट भवन, गौतम मार्ग, गान्धिमार्ग, रायबरेली-226006

E-mail : upscoutsandguides@yahoo.com, Website : www.bharat.org, Ph. NO 0522-2332928

In view of the above, to constitute the university as a district and to carry out the activities as per the Rules, the following Ad hoc Committee shall be constituted by The Vice Chancellor :-

1. Vice Chancellor - President
2. Registrar - Secretary
3. Principal/Dean (Male) nominated by Vice Chancellor - Member
4. Principal/Dean (Female) nominated by Vice Chancellor - Member
5. The Assistant State Organizing Commissioner(Scout/Guide) of Bharat Scouts & Guides, U.P. of the Division concerned -Ex officio member

The function of the Ad hoc Committee shall be to recommend the names for the following positions in the university district to the State Association for approval :-

1. President - Vice Chancellor
2. District Chief Commissioner - Principal of any College situated in the university Headquarter District or Dean of university in the case of residential university.
3. District Commissioner(Rover) - Dean / Any person not below rank of Professor (Male)
4. District Commissioner (Ranger) - Dean / Any person not below rank of Professor (Female)
5. District Secretary - Registrar / Deputy Registrar of the university

After the recommendations are sent to the State Headquarters, Bharat Scouts & Guides, U.P., Gole Market, Mahanagar, Lucknow, formal warrants/letters for their appointments shall be issued and affiliation to the University shall be granted. After affiliation and constitution of District Association, further action shall be taken as per Bharat Scout & Guide Rules, Chapter V of the rules book. A copy of District model By Laws is enclosed for your ready reference. The formal application format for affiliation is also enclosed.

Assistant State Organizing Commissioner **Mr./Mr.**

Mobile Number has been instructed to contact and liaise with you for further necessary action in this regard.

पत्रिका:- सी.जी.-105/172/2022-1

दिनांक - 30.4.2022

I shall be grateful if you could kindly take immediate steps to constitute the university District Organization in your university, under intimation to the undersigned.

Should you have any query, please do not hesitate to contact me.

With regards,

(Dr. Prabhat Kumar)
State Chief Commissioner
Bharat Scouts & Guides, U.P.

Enclosed: As above

To,
The Honorable Vice Chancellor

Copy to the following for kind information and necessary action :-

1. Chief National Commissioner, Bharat Scouts & Guides, National Headquarters, New Delhi.
2. Director Education (Higher Education), U.P., Prayagraj.
3. Registrars, All universities, U.P.
4. All State Commissioners, Bharat Scouts & Guides, U.P.
5. State Treasurer, Bharat Scouts & Guides, U.P.
6. State Secretary, Bharat Scouts & Guides, U.P.
7. State Organizing/Training Commissioner (Scout/Guide), Bharat Scouts & Guides, U.P.
8. All Assistant State Organizing Commissioners, (Scout/Guide), Bharat Scouts & Guides, U.P.

(Dr. Prabhat Kumar)
State Chief Commissioner
Bharat Scouts & Guides, U.P.

Chief Commissioner
Bharat Scouts & Guides
Uttar Pradesh, Lucknow

प्रभु,

शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)

शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग,

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

संज्ञा में,

1- कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: डिग्री विकास/ 135023 /2021-22 दिनांक: 15.12.2021

विषय:- प्रदेश के समस्त शासकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में रोवर्स/रेजर्स कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ,

व्यापक आयुक्त विषयक पत्र के साथ संलग्न डॉ० प्रभात कुमार आई०ए०एस० (से०नि०), प्रादेशिक मुख्यायुक्त भारत स्काउट एवं गाइड (अ०प्र०) का पत्र दिनांक 22.03.2021 (व्यापक संलग्न) जो माननीय कुलाधिपति-राज्यपाल, उ० प्र० को सम्बोधित है।

उक्त पत्र के अनुक्रम में प्रादेशिक मुख्यायुक्त द्वारा राज्य के विश्वविद्यालयों/संस्थानों में भारत स्काउट एवं गाइड की गतिविधियों को प्रभावी ढंग से लागू करने का अनुरोध किया गया है। राजकीय महाविद्यालयों/अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में रोवर्स/रेजर्स के दला के गठन तथा उनसे सम्बन्धित गतिविधियों के संचालन के सम्बन्ध में विस्तृत अनुरोध किया है। जिनका क्रियात्मक अंश निम्नवत है:-

- 1- प्रत्येक महाविद्यालय को कम से कम एक रोवर्स/रेजर्स 24-24 की संख्या में गठन के साथ ही पंजीकरण/नवीनीकरण अनिवार्य रूप से कराया जाए।
- 2- प्रत्येक महाविद्यालय में रोवर्स/रेजर्स कोष का गठन सुनिश्चित कराया जाए, जिसके अन्तर्गत महाविद्यालयों में अध्ययनरत समस्त छात्र-छात्राओं से रुपये 50=00 की धनराशि प्राप्त कर रोवर्स/रेजर्स के फण्ड में जमा की जाए।

उक्त पत्र की धनराशि को उत्तर प्रदेश भारत स्काउट एवं गाइड, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा जिला संस्था भारत स्काउट एवं गाइड सम्बन्धित जनपद स्तर पर क्रमशः- 15.20 : 50.15 के अनुपात में एकत्रित की जाए, जिससे सभी स्तरों पर विभिन्न गतिविधियों के सफल संचालन हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध रहें।

अतः आपको निर्दिष्ट बिना जाना है कि पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं को प्रभावी ढंग से लागू करें एवं कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी तथा प्रादेशिक मुख्यायुक्त भारत स्काउट एवं गाइड उ० प्र० को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

सोल्तमक - उत्तरप्र

भवदीय,

डॉ. (अमित भारद्वाज)

शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पत्रांक संख्या- डिग्री विकास/ 135023-31 /2021-22 दिनांक।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- डॉ. महेन्द्र सिंह, अध्यक्ष, उ० प्र० भारत स्काउट एवं गाइड, लखनऊ।
- 2- डॉ० प्रभात कुमार, प्रादेशिक मुख्यायुक्त, भारत स्काउट एवं गाइड, उ० प्र०।
- 3- प्रादेशिक सचिव, उ० प्र० भारत स्काउट एवं गाइड, महानगर, लखनऊ।
- 4- प्रादेशिक प्रशिक्षण आयुक्त/संगठन आयुक्त, उ० प्र० भारत स्काउट एवं गाइड, महानगर, लखनऊ।
- 5- समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालय को इस आशय के साथ प्रेषित कि पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
- 6- समस्त सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त (स्का०/गा०) सम्बन्धित मण्डल को इस आशय के साथ कि अपने मण्डल स्थित जनपदों के उच्चाधिकारी से सन्दर्भ स्थापित कर कार्यवाही सुनिश्चित कराये।
- 7- समस्त जिला सचिव/जिला आयुक्त, भारत स्काउट एवं गाइड, उ० प्र०।

संनि० डा० जय सिंह
08/11/22
4/2

डॉ. (अमित भारद्वाज)

शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।



राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश,

लखनऊ-228027

संख्या-ई- 2701/32-जी0एस0/2021 (मिस)

दिनांक : 01/06/2021

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

50(19)
वार्ता
11/6/2021

विषय: उ0प्र0 के समस्त विश्वविद्यालयों में रोवर/रेंजर कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक डॉ0 प्रभात कुमार, आई.ए.एस.(से0नि0), प्रादेशिक मुख्यायुक्त, भारत स्काउट एवं गाइड, उत्तर प्रदेश का पत्र दिनांक 22-03-2021, जो माननीया कुलाधिपति/राज्यपाल, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में उक्त पत्र की छायाप्रति एवं संलग्नक मूलरूप में प्रेषित करते हुए मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(महेश कुमार गुप्ता)
कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव।

संलग्नक : यथोपरि।

प्रतिनिधि डॉ0 प्रभात कुमार, आई.ए.एस.(से0नि0), प्रादेशिक मुख्यायुक्त, भारत स्काउट एवं गाइड, उत्तर प्रदेश को उनके उपरोक्त पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ0 पंकज एल0 जानी)
कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी।

590 Recd Date 26/06/2021
Office of the Vice-Chancellor
M.D.U.A.T. Kanpur, Ayazpur (U.P.)

राज्यपाल सचिवालय, उ०प्र०
लखनऊ।

पत्रांक जी-2440/जी०प्रा०
दिनांक 17.06.2021



प्रेषक
विशेष सचिव,
श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश,
राजभवन, लखनऊ।

Regd. No. 11/518/21
17.06.21

समस्त कुलपति/निदेशक,
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय/संस्थान

Vice Chancellor

विषय : उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों में रोवर/रेंजर कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक डॉ प्रभात कुमार, प्रादेशिक मुख्यायुक्त, भारत स्काउट और गाइड, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या सीजी-105/1689/2020-21, दिनांक 22 मार्च, 2021 (अध्यापति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा समस्त विश्वविद्यालयों में रोवर/रेंजर कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

इस संवध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रनश्गत व्यवस्था में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मदी ज्ञाथ सिंह)

विशेष सचिव श्री राज्यपाल, उ०प्र०।

संलग्नक : यथावधि।

Secy
17/06/21
27/6/21

Dr. Manoj Kumar
17/6/21

(22)

Dr. Pankaj Mittal
Former Vice Chancellor, BPS Women University, Haryana
Secretary General



Association of Indian Universities

AIU House, 16, Comrade Indrajit Gupta Marg (Kolla Marg),
New Delhi-110 002

भारतीय विश्वविद्यालय संघ

ए०आईयू० हाउस, 16, कॉमरेड इन्द्रजीत गुप्ता मार्ग
(कोल्ला मार्ग), नई दिल्ली-110 002

No. AIU/SGO-BSG/2021

10th January, 2021

डॉ. (श्रीमती) पंकज मिश्र
(पूर्व कुलपति, बीपीएस महिला विश्वविद्यालय, हरियाणा)
महासचिव

Dear Vice Chancellor/Director,

The Bharat Scouts and Guides (BS & G) is a voluntary, non-political, non-sectarian and non-communal organization. It is one of the largest youth organization in the country with a membership of around 8.0 million members spread all over the country and having affiliated associations in all the States and Union Territories. Scouting is an educative attempt to cultivate among boys and girls, the qualities of good citizenship in a play way manner. It is a leisure game in which the scouts, while developing their physical, mental and spiritual energies, become truly constructive citizens with effortless ease. The BS & G provides training in life skills, handicrafts and various community development programmes. There are more than two hundred proficiency badges in different areas of scout training. It is an organization well recognized and aided by the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India and works towards developing the leadership competencies, training in life skills, Vocational and Survival Skills, Disaster Preparedness, Environmental awareness, Protecting Heritage sites and works towards creating a better World.

The movement has two wings known as Scout Wing for boys and Guide Wing for girls with three sections in each wing.

- | | |
|--------------------------------|---|
| CUB (Boys) / BULBUL (Girls) | - Age Group 05-10 years with Motto "Do your Best" |
| SCOUT (Boys) / GUIDE (Girls) | - Age Group 10-17 years with Motto "Be Prepared" |
| ROVER (Boys) / RANGERS (Girls) | - Age Group 15-25 years with Motto "Service" |

I shall be grateful if you introduce the Rovers and Rangers Programme in your esteemed university to inculcate a value based system in your students to help build a better world where students play a constructive role in the society. For this, you may establish Rovers and Rangers Units in your university to emphasize on outdoor activities, service projects and personal development of students in the age group of 15-25 years. It will help the students to discover the world beyond the classrooms, build confidence, leadership acumen, skill and team building and will help them to become a well rounded independent person.

You may like to collect Rs. 50 as annual Rover/Ranger Fund per student to conduct the activities in these programmes and for spreading scout and guide activities in the country for creating a better India. The scheme of advancement of a Rover/Ranger is explained in the enclosed Youth Programme.

Your goodself as the Vice-Chancellor of the University can be appointed as the District Chief Commissioner to look after the all-round development of the students (Rovers & Rangers) and the trained young students of your university will develop as a valuable resource not only for the institution but also for the society and nation as a whole.

The Bharat Scouts and Guides has appointed a State Coordinator in every state to liaise with its members. We request you to coordinate with the BSG State Coordinator to start a Unit of Bharat Scout and Guides in your institute. The universities can function as separate district under the State Association of BSG to enable them to perform independently.

For any further information your office may contact Ms Darshana Pawaskar, Joint Director (Guides), The Bharat Scouts and Guides, National Headquarters, Lakshmi Mazumdar Bhawan 16, Mahatma Gandhi Marg, I.P. Estate, P.O. BOX No.-7043, New Delhi-110 002 (Email: jdg@bsgindia.org, Mob.: 7666392611).

With warm regards,

Yours sincerely,

(Pankaj Mittal)

The Vice-Chancellor/Director of all AIU Member Universities/Institutions.



1:20 PM

Promotion of Scouting & Guiding | Ministry of Youth Affairs and Sports | GoI

MOYAS/MA/2021/11

2 3 4 5

युवा मामलों और खेल मंत्रालय
MINISTRY OF
YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS

75th
Azadi Ka
Amrit Mahotsav
15th August 2021



HOME
DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS
DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS
DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS

Introduction

Every citizen of India should be able to think clearly, take quick and proper decisions, be alert and develop a sense of responsibility for others. Under proper training and guidance right from childhood, those qualities can be nurtured in our youth and make them responsible citizens in life. Scouting and Guiding - which is an international movement - intends to inculcate these qualities in a spirit of loyalty, patriotism and thoughtfulness for others. In India, Scouting and Guiding is immensely popular among students.

Objective

The term "Scouts & Guides" being a general term, it shall include boys and girls covered under different nomenclatures like "cubs and the bulbuls", "the scouts and the guides" and "the rovers and the rangers". Accordingly, the age limit of the beneficiaries will be from 6 to 35 years.

III. Pattern of Assistance

The Central grant will be admissible for

- Conducting scouting and guiding camps;
- Conducting training programmes for the Scouts and Guides and for trainers of Scouting and Guiding who will also receive education, national integration and preservation of cultural heritage;
- Conducting periodical meets of national level on the theme of Scouting and Guiding;
- Co-ordination of Scouting and Guiding activities;
- Development of Training Centres;
- Monitoring and evaluation of Scouting and Guiding activities in India and sharing of experiences of scouting and guiding with other countries;
- Travel grant for participation in important national/international seminars on scouting/guiding; and
- Research and publications on scouting/guiding.

2. The grant will be non-recurring in nature. The organisation applying for the grant should have the recognition from the Government of India as a scouting and guiding organisation with adequate experience, resource and separate legal entity. Government shall release only to the Central body of such an organisation - not to its branches, under this scheme. State Government shall seek funds from the state Governments, independent of this scheme. However, there shall be no bar in granting it under other schemes of this Department to such branch offices. The Central body or the National Headquarters organisation may share the funds released for conducting programmes with its branches.

3. "Under the scheme, financial assistance is provided on year to year basis for selected activities such as organising camps, skill development programmes, holding of jamborees and other activities like adult literacy, environmental community service, health awareness and promotion of hygiene and sanitation."

4. Grants will be released as per the approved action plan for the year. However, the organisation should clearly set out its programme by 30th November of the previous financial year, so that the total admissible grant can be released in advance. Only 75% of the sanctioned grant will be released subject to settlement of previous year's grant as first instalment. 25% will be released after receiving utilisation certificate.

5. The entire budget provision under this scheme, shall be spent on three separate heads: (i) Programme - comprising maximum 10% of the plan budget; (ii) Development of Training Centres - comprising maximum 10% of the plan budget which shall be for the Ministry to the programme side if no viable proposal is received in a particular financial year; and (iii) Research, evaluation, experiences-sharing and publication - comprising 5% of the plan budget. Items (a) to (d), (g) and (h) of the plan shall be considered under the object head of Programme.

6. The following norms for expenditure of the grant shall be followed strictly by the grantee organisation:

- Scouting/Guiding/Training Camps

Promotion of Scouting & Guiding | Ministry of Youth Affairs and Sports | GoI

(i) Board and Lodging : Maximum Rs. 70/- per day per head for participants only for scouting/guiding camps and training centres organised in training centres or similar other centres run by the grantee organisation. The corresponding admission fee per day per head, if the camps are organised in other places.

(ii) Travelling Expenditure : Actual, subject to the condition that the journey has been performed in the cheapest mode. In case of train journey, this will mean ordinary sleeper class with reservation.

(iii) Training Material : Maximum Rs. 120 per participants for distribution among the participants of the training programme.

(iv) Scouting and guiding equipment : Maximum Rs. 100/- per participant in training and scouting/guiding camps per year.

(c) Conducting periodic meals

At least two quarterly meals can be funded from the annual grant with a maximum assistance of Rs. 2.00 lakh. The total amount per annum should not exceed Rs. 8 lakhs.

(d) Coordination of Scouting/Guiding Activities

The grantee organisation may spend 10% of the annual grant sanctioned under the programme head for scouting/guiding activities with its affiliated branches all over India. However, total expenditure on this account shall not exceed Rs. 2.00 lakh.

(e) Development of Training Centres

Grantee organisation, if required, shall apply separately, enclosing plan, estimates and lay-out for renovation and construction of training centre(s). On examination of the proposal, the Ministry of Youth Affairs and Sports may get the proposal sanctioned by CPWD and place funds at the disposal of the CPWD for execution of the civil works.

(f) Monitoring, Evaluation and Sharing experiences

(i) The scheme of Promotion of Scouting and Guiding shall be evaluated once in every five years by an external independent agency. The recommended actions of the executive summary of the evaluation report shall be sent to the Bharat Scouts and Guides for special consideration and implementation subsequently. Any proposal for evaluation and/or monitoring of the scheme shall be assisted financially by this Ministry on such terms and conditions and as per such pattern as may be decided on a case to case basis.

(ii) To share the experiences with other countries and also to attend periodical meets abroad, organised by the Ministry, a maximum of two visits can be funded by the Ministry. Air passage, boarding and lodging expenditure can be borne by the Ministry, if not met by the host State. Any such team will include scouts and guides of 10-21 years of age and one representative of the Government of India/State Government.

(g) & (h) Travel Grant and Grant for Research and Publication

Proposals under these two items would be examined on case to case basis and grants may be decided accordingly. The ceiling shall be Rs. 2.00 lakh in each of the above two items.

(IV) Status of The Bharat Scouts and Guides

The Bharat Scouts and Guides is recognised by the Government of India as the apex organisation of scouting and guiding.

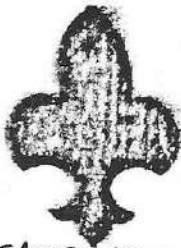
(V) Application Procedure

Organisation applying for the Central Grant may apply in the proforma enclosed as Annexure along with details mentioned there in. The application may be addressed to The Secretary, Ministry of Youth Affairs & Sports.

SUPPORT ORGANISATIONS



भारत स्काउट और गाइड, उ० प्र०



डा० प्रभात कुमार, आई० ए० एस० (सं० नि०)

प्रादेशिक मुख्यायुक्त
भारत स्काउट और गाइड उ० प्र०
अध्यक्ष
लोक सेवा आयोग, उ० प्र०

पत्रांक C.G. 105/1680/2000
दिनांक 22.12.2001

सेवा में,

महामहिम राज्यपाल महोदया,
उत्तर प्रदेश, राजभवन,
लखनऊ ।

विषय:- उ० प्र० के समस्त विश्वविद्यालयों में रोवर/रेंजर कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदया,

सादर अवगत कराना है कि राष्ट्र निर्माण, एकता और युवा वर्ग की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिये स्काउटिंग और गाइडिंग भारत में ही नहीं, सम्पूर्ण विश्व में एक सशक्त माध्यम माना जाता है । यह विद्यार्थियों में अनुशासन, सेवा-भाव, भाई चारा, संगठन एवं नेतृत्व की भावना विकसित कर उन्हें उत्तम नागरिकता की ओर ले जाता है । स्काउटिंग/गाइडिंग में युवा वर्ग को रोवर/रेंजर की संज्ञा देते हुये उनकी आयु 15 से 25 वर्ष निर्धारित है । 24 युवकों के दल को "रोवर ब्रू" (Rover Crew) तथा 24 युवतियों के दल को "रेंजर टीम" (Ranger Team) का नाम दिया गया है । वर्तमान परिस्थितियों में युवा वर्ग को अधिकाधिक संख्या में स्काउटिंग/गाइडिंग आन्दोलन से सम्बद्ध करने की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बलवती होती जा रही है ।

वर्तमान में प्रदेश के अधिकांश विश्वविद्यालय में स्काउट/गाइड के अन्तर्गत रोवर/रेंजर कार्यक्रम संचालित नहीं हैं । मात्र कुछ विश्वविद्यालयों जैसे पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय वाराणसी विश्वविद्यालयों में ही रोवर-रेंजर की गतिविधियाँ संचालित हैं । इसका एक मुख्य कारण शासन स्तर से समेकित निर्देशों का जारी न होना है । अतः इस बात की आवश्यकता है कि रोवर ब्रू तथा रेंजर टीम में विश्वविद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्र-छात्राओं को सम्मिलित करते हुये टीम के गठन की कार्यवाही की जाय । सुलभ संदर्भ हेतु इस सम्बन्ध में जो गतिविधियाँ विश्वविद्यालय में संचालित की जा सकती हैं, उनका विवरण संलग्नक "क" पर उपलब्ध है ।

अभी हाल ही में "एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज" द्वारा भी सभी कुलपतियों को अपने विश्वविद्यालय में रोवर-रेंजर कार्यक्रमों को लागू करने के लिये निर्देश दिये गये हैं । सुलभ

"NIRMAL HINDON" Initiative :
www.nirmalhindon.in

प्राप्तो मिलकर डिस्क को लिब्रल और अद्विगत बनाये



उपस्थित भारत स्काउट और गाइड राष्ट्रीय प्रमाण केन्द्र : महात्मा गाँधी मार्ग, इण्डियन इन्स्टीट्यूट, नई दिल्ली

उपस्थित प्रमाण पत्र 442/1950-1951

प्रादेशिक प्रमाण कार्यालय : स्काउट भवन, ग्रेजुएट मार्केट, लखनऊ, लखनऊ-226006

सन्दर्भ हेतु निर्देश की प्रति (संलग्नक "ख") संलग्न की जा रही है । साथ-साथ शासन पर वित्तीय भार न पड़े, इसीलिये यह व्यवस्था की गयी है कि रुपये 50/- वार्षिक प्रत्येक छात्र से फीस के रूप में लेकर रोवर-रेंजर फण्ड की स्थापना की जा सकती है, ताकि स्काउट/गाइड गतिविधियाँ तथा कार्यक्रम प्रभावी ढंग से संचालित किये जा सकें और उन्हें किसी प्रकार की आर्थिक कठिनाई का सामना न करना पड़े । उक्त फण्ड की धनराशि को प्रदेश भारत स्काउट एवं गाइड, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा जिला भारत स्काउट तथा गाइड स्तर पर क्रमशः 15 : 20 : 50 : 15 के अनुपात में Share किया जा सकता है ताकि सभी स्तरों पर विभिन्न गतिविधियों हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध रहें ।

महोदया आप जो कि उ०प्र० के सभी विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति हैं, के स्तर से सभी विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों को यदि समुचित निर्देश प्रसारित करने पर विचार किया जाता है, तो न केवल विश्वविद्यालय में मृतप्राय रोवर-रेंजर गतिविधियों को संजीवनी मिल सकेगी, वरन् एक बेहतर भारत व बेहतर उत्तर प्रदेश के निर्माण हेतु युवा बालक/बालिकाओं के शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक विकास हो सकेगा तथा उत्तर प्रदेश को एक सुनिश्चित विद्या मिल सकेगी ।

अतः अनुरोध है कि कृपया समस्त कुलपतियों को इस सम्बन्ध में समुचित निर्देश निर्गत करने की कृपा करें ।

संलग्नक-उक्तवत् ।

भवदीय,

17/08/2024

(डा० प्रभात कुमार)

प्रादेशिक मुख्यायुक्त

Chief Commissioner
Bharat Scouts & Guides
Uttar Pradesh, Lucknow

रोवर - रेंजर गतिविधियाँ
रोवर - रेंजर के विकास हेतु संचालित की जाने वाली गतिविधियों का विवरण इस प्रकार है

- | | |
|---|--------------------------------|
| (1) उपराष्ट्रपति रोवर - रेंजर पुरस्कार | (1) साहसिक अभियान |
| (2) उद्देश्यपूर्ण यात्रा (प्राकृतिक) | (2) आपदा प्रबंधन |
| (3) यातायात नियंत्रण | (3) प्राथमिक सहायता |
| (4) हस्तकौशल | (4) सांस्कृतिक चेतना अभिवृद्धि |
| (5) राष्ट्रीय भावनात्मक एकता से जुड़े कार्यक्रम | (5) सेवा शिविरों का आयोजन |

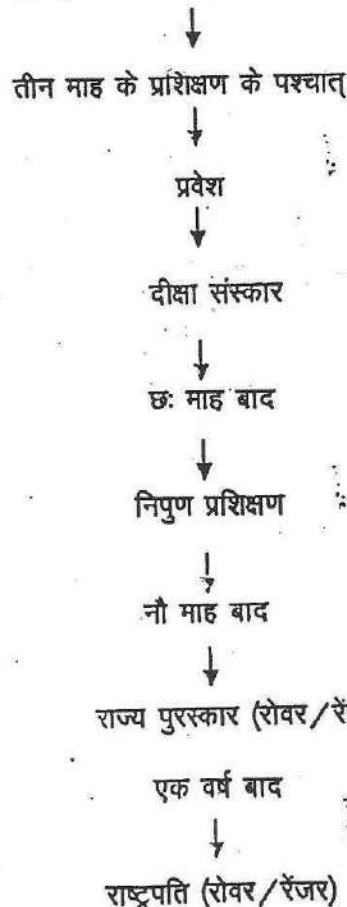
2. रोवर - रेंजर पाठ्यक्रम के अंतर्गत युवक/युवतियों के विकास हेतु प्रगतिशील प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण निम्नवत है -

रोवर/रेंजर कार्यक्रम

उम्र - न्यूनतम 15 वर्ष, अधिकतम 25 वर्ष

विकास हेतु कार्यक्रम

15 वर्ष की उम्र से - रोवर/रेंजर आकांक्षी



25 वर्ष से 35 वर्ष तक - रोवर/रेंजर (सेवा में)

3. उपरोक्त कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर रोवर क्यू/रेंजर टीम के माध्यम से जहाँ एक ओर युवा वर्ग के भविष्य के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा, वहीं उनके द्वारा तत्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु समुचित वातावरण बनाये जाने में सहायता मिल सकती है, जैसे - मिशनशक्ति, दहेज उन्मूलन, अस्पृश्यता निवारण, वृक्षारोपण, बेटी बचाओ - बेटी पढ़ाओ, मतदाता जागरूकता अभियान, जल संरक्षण आदि। इसके अतिरिक्त शासन की विकास योजनाओं के प्रचार व प्रसार जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में रोवर/रेंजर की टीमों को लगाया जा सकता है।

30 प्र० भारत स्काउट और गाइड



डा० प्रभात कुमार, आई०ए०एस०

मुख्य आयुक्त, उ०प्र०

कृषि उत्पादन आयुक्त एवं

अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, उ०प्र०

पत्रांक : M4-201/165-12019-20

दिनांक : 25.1.2019

सेवा में,

कुलपति

समस्त विश्वविद्यालय

उत्तर प्रदेश।

विषय:- विश्वविद्यालयों में रोवर/रेंजर कार्यक्रम को अनिवार्य रूप से लागू किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उ०प्र० भारत स्काउट और गाइड एसोसिएशन सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम 1850 के अन्तर्गत पंजीकृत शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की सहयोगी संस्था है तथा यह गैर-राजनीतिक, वर्णभेद की भावना से रहित, असाम्प्रदायिक संगठन है।

आपको अवगत कराना है कि राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकता और युवा वर्ग की शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्काउटिंग तथा गाइडिंग भारत में ही नहीं, सम्पूर्ण विश्व में एक सशक्त माध्यम माना जाता है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों में अनुशासन, सेवा-भाव, भाई चारा, संभ्रम एवं नेतृत्व की भावना विकसित होकर उन्हें उत्तम नागरिकता की ओर ले जाती है। आन्दोलन का उद्देश्य नवयुवक/नवयुवतियों के विकास में इस तरह योगदान करना है, जिससे उनकी पूर्ण शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक अन्तः शक्तियों की उपलब्धि हो, ताकि व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नागरिकों के रूप में तथा स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय समुदायों के रूप में उपयोगी सिद्ध हो सकें।

आपको अवगत कराते हुए हर्ष हो रहा है कि इस वर्ष रेंजरिंग के 100 वर्ष पूर्ण होने पर यह वर्ष शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जिसका शुभारम्भ उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा से जुलाई 2019 में किया जा रहा है। राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली के निर्देशों के अनुपालन में रेंजर शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर का सम्पन्न होगा जिसमें पूरे देश से रेंजर्स प्रतिभाग करेंगी। उक्त कार्यक्रम में आपका सहयोग एवं सक्रियता की आकांक्षा रहेगी।

उपरोक्त के संबंध में प्रादेशिक मुख्यालय के पत्रांक सी०जी०-105 ए/2218/2018-19 दिनांक 28.02.2019 द्वारा पूर्व में महाविद्यालयों में रोवर/रेंजर्स के दल की पात्रता आदि के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी दी गयी है, जिसकी प्रति सुलभ संदर्भ हेतु पुनः संलग्न है।

रोवर ब्रू/रेंजर टीम के माध्यम से जहाँ एक ओर युवा वर्ग के भविष्य के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा वहीं शासन की विकास योजनाओं के प्रचार एवं प्रसार जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्यों में भी रोवर/रेंजर दलों को लगाया जा सकता है।

वर्तमान परिस्थितियों में भी युवा वर्ग को अधिकाधिक संख्या में स्काउटिंग/ गाइडिंग आन्दोलन से सम्बद्ध करने की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बलवती होती जा रही है। अतः प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों में रोवर/रेंजर दलों को गठित करने की दिशा में सक्रिय कार्यवाही की सामयिक आवश्यकता है।

"NIRMAL HINDON" Initiative :
www.nirmalhindon@in

आगे भित्तिय दिख को निर्मल और उदित बनाये।



सम्बद्ध : भारत स्काउट और गाइड राष्ट्रीय प्रधान केन्द्र : महात्मा गाँधी मार्ग, इन्टरनल इस्टेट, नई दिल्ली

रजिस्ट्रेशन संख्या एस० 452/1950-1951

प्रादेशिक प्रधान कार्यालय : स्काउट भवन, गोल मार्केट, मसनगर, लखनऊ-226006

E-mail : upscoutsguides@yahoo.com Website : www.upbse.org Ph. No. 522-2332928

शासन द्वारा इस आशय के विभिन्न निर्देश भी समय समय पर निर्गत किए गए हैं इसके अनुरूप रोवरिंग/रेंजरिंग कार्यक्रम को विश्वविद्यालय/ महाविद्यालयों में प्रभावी रूप से लागू करने के लिए निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक है-

- (1) समस्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में (जहाँ अभी तक रोवर ब्रू/रेंजर टीम का गठन नहीं हो पाया है) न्यूनतम एक रोवर ब्रू/रेंजर टीम का अनिवार्य रूप से गठन कर उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड से पंजीकृत कराया जाय। (सुविधा हेतु पंजीकरण फार्म की छाया प्रति संलग्न है)। साथ साथ जहाँ वे दल पूर्व से गठित है वहाँ उनकी संख्या में वृद्धि की जाय।
- (2) प्रत्येक रोवर ब्रू के लिए एक पुरुष प्राध्यापक एवं रेंजर टीम के लिए एक महिला प्राध्यापिका को नामित किया जाये जो कमशः रोवर लीडर एवं रेंजर लीडर से सम्बोधित होंगे। नामित रोवर लीडर/रेंजर लीडर को प्रगतिशील प्रशिक्षण के अंतर्गत उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड द्वारा प्रारम्भ में बेसिक कोर्स का प्रशिक्षण दिया जायेगा। (प्रगतिशील प्रशिक्षण कार्यक्रम संलग्न है)

अतः अनुरोध है कि कृपया अपने विश्वविद्यालय और सम्बद्ध महाविद्यालयों में रोवरिंग/रेंजरिंग के प्रति छात्र/छात्राओं को प्रेरित करने और अधिकाधिक दलों को पंजीकृत कराने की व्यवस्था कराने हेतु विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में भी इस अभियान को पहुँचाने की आवश्यकता है। कृपया इस आशय के निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें। कार्यक्रम से जुड़ी सामग्री संलग्नक के रूप में आपको उपलब्ध करायी जा रही है। इस हेतु समय-समय पर उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड से जिस सहयोग की आवश्यकता होगी, वह आपको सुलभ होता रहेगा। किसी प्रकार की जिज्ञासा हेतु 0522-2332928 पर संपर्क किया जा सकता है।

संलग्नक:-उक्तवत्।

भवदीय,

(डा० प्रभात कुमार)
मुख्य आयुक्त

उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- प्रमुख सचिव (उच्च शिक्षा) उ0प्र0शासन, लखनऊ
- 2- निदेशक (उच्च शिक्षा) उ0प्र0, उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज।
- 3- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4- प्रादेशिक आयुक्त (स्काउट/गाइड/प्रशासन एवं प्रशिक्षण) उ0प्र0 भारत स्काउट/गाइड, लखनऊ।
- 5- प्रादेशिक सचिव, उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड, लखनऊ।

(डा० प्रभात कुमार)
मुख्य आयुक्त

उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड

पत्रांक एम0जी0-20/65/263 /2019-20

दिनांक 09.05.19

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. संयुक्त प्रादेशिक सचिव, उ0प्र0 भारत स्काउट एवं गाइड।
2. प्रादेशिक संगठन/प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट/गाइड) उ0प्र0 भारत स्काउट एवं गाइड।
3. समस्त सहायक प्रादेशिक संगठन कमिश्नर (स्काउट/गाइड), उ0प्र0 भारत स्काउट एवं गाइड।

(आनन्द सिंह रावत)
प्रादेशिक सचिव

यूनिट पंजीकृत होने के लाभ

1. बिना यूनिट पंजीकृत कराये कब/बुलबुल,स्काउट/गाइड,रोवर/रेजर को कोई वैधानिकता प्राप्त नहीं हो पायेगी।
2. योजना के क्रियान्वयन के लिए यूनिट का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
3. यूनिट लीडर का कमबद्ध प्रशिक्षण के लिए यूनिट का पंजीकरण अनिवार्य है।
4. बच्चों के कमबद्ध प्रशिक्षण के लिए यूनिट पंजीकृत होना अनिवार्य है।
5. यूनिट पंजीकरण होने से विद्यालय/जनपद/प्रदेश/राष्ट्रीय स्तर/ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक अन्तः सम्बन्ध स्पष्ट होता है।
6. कार्य को व्यवहारिक ढंग से सम्पादित होने के लिए यूनिट का पंजीकरण होना अनिवार्य है।
यूनिट पंजीकृत होने के पश्चात् स्काउट/गाइड रोवर रेजर को निम्नवत अवसर प्रदान हो सकेगे।

रोवर/रेंजर्स के अन्य कार्यक्रम

- उपराष्ट्रपति पुरस्कार
- साहसिक अभियान
- उद्देश्यपूर्ण यात्रा (प्राकृतिक)
- आपदा प्रबन्धन
- खोज एवं बचाव
- यातायात नियंत्रण
- प्राथमिक सहायता
- हस्त कौशल
 - सांस्कृतिक चेतना अभिवृद्धि
 - राष्ट्रीय भावात्मक एकता से जुड़े कार्यक्रम
 - सेवा शिविरों का आयोजन

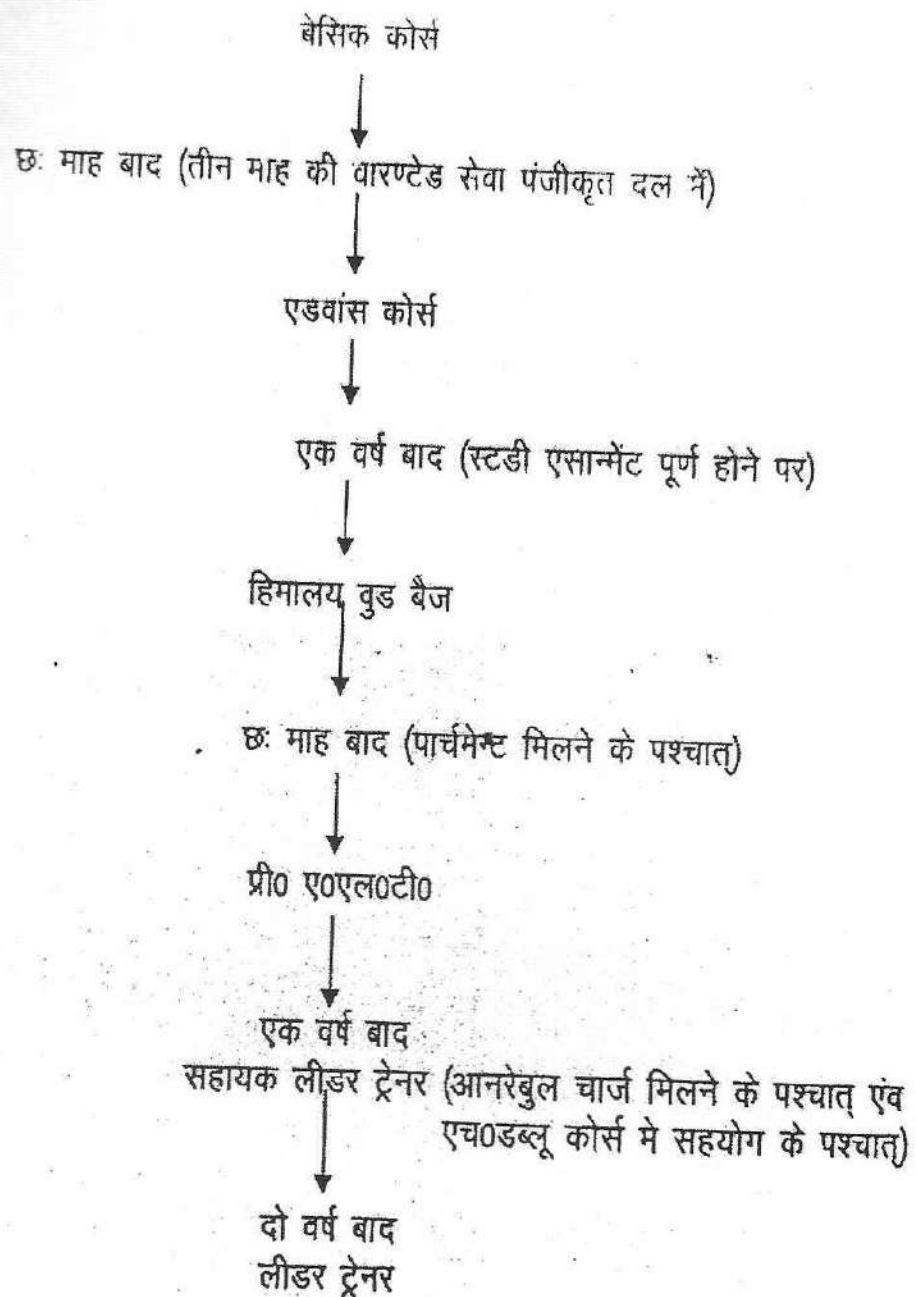
संगठनात्मक स्वरूप

रोवर/रेंजर की एक यूनिट में न्यूनतम 8 अधिकतम 24 सदस्य (पृथक - पृथक) होते हैं, जो एक यूनिट लीडर जिन्हे रोवर स्काउट लीडर/रेजर लीडर कहते हैं, के नेतृत्व में कार्य करते हैं।

प्रत्येक यूनिट में यूनिट लीडर के सहयोग हेतु चार सहायक यूनिट लीडर (पृथक - पृथक) हो सकते हैं।

रोवर/रेंजर विंग में यूनिट लीडर की आयु न्यूनतम 25 वर्ष, सहायक यूनिट लीडर की आयु 21 वर्ष, शैक्षिक योग्यता स्नातक की होती है।

यूनिट लीडर का प्रगतिशील प्रशिक्षण



प्रत्येक चार वर्ष के भीतर रि-ओरिएन्टेशन करना एवं न्यूनतम दो वयस्क शिविर का संचालन करना अनिवार्य है।

रोवर / रेंजर कार्यक्रम

उम्र - न्यूनतम 15 वर्ष, अधिकतम 25 वर्ष

विकास हेतु कार्यक्रम

15 वर्ष की उम्र से- रोवर/रेंजर आकांक्षी
से
25 वर्ष की उम्र तीन माह के प्रशिक्षण के पश्चात् के पश्चात्

दीक्षा संस्कार

छः माह बाद

निपुण प्रशिक्षण

नौ माह बाद

राज्य पुरस्कार (रोवर/रेंजर)

एक वर्ष बाद

राष्ट्रपति (रोवर/रेंजर)

25 वर्ष से 35 वर्ष तक - रोवर/रेंजर (सेवा में)

- समाज सेवा के क्षेत्र में संस्था के नैतिक कार्यों में इस प्रकार सहयोग करना जिससे इनका स्वयं के व्यक्तित्व का स्थायीकरण हो तथा आर्थिक रूप से सबल हो।